संख्या– /XXVIII(3)/21-04/2008 T.C

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून : दिनांक 25 नवम्बर, 2021

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0–3

विषय–प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत समस्त प्रकार के रोगों की चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने एवं आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अम्ब्रेला योजना से पृथक किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संदर्भ मे पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–688/XXVIII-4-2018-04 2008 दिनांक 14.09.2018 शासनादेश संख्या–870/XXVIII-4-2018-04/2008 दिनांक 06.12 2018, शासनादेश संख्या- 214-XXVIII-3-2020-04/2008T.C. दिनांक 04.05.2020 तथा शासनादेश संख्या–906/XXVIII-3-2020-04/2008T.C. दिनांक 31.12 2020 से राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) को पृथक करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को समस्त प्रकार के रोगों के उपचार हेतु उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने हेतु राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (**State Government Health Scheme-SGHS**) का संचालन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. **योजना का नाम** – कार्मिक/पेंशनर्स हेतु स्वास्थ्य योजना "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" (State Government Health Scheme - SGHS) के नाम से संचालित होगी।
2. **योजना का विवरण** – राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का संचालन राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा। इस हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा Central Government Health Scheme (CGHS) दरों पर राजकीय/निजी चिकित्सालयों को (SGHS) योजना से सूचीबद्ध किया जायेगा। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा उन्हीं चिकित्सालयों को सूचीबद्ध किया जायेगा, जो उनके यहां उपलब्ध समस्त विशेषज्ञता/सुविधा कार्ड धारक को उपलब्ध करायेंगे। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा एकल विशेषज्ञता के ख्याति प्राप्त चिकित्सालयों को भी सूचीबद्ध किया जायेगा।
3. **पात्रता**– "राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना" में परिवार एवं आश्रित की परिभाषा वही होगी जो "उत्तराखण्ड सेवानिवृत्ति लाभ अधिनियम, 2018" में उल्लिखित है।

आश्रित की आयसीमा :– आश्रित की मासिक आय की सीमा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)(समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुरूप निर्धारित होगी।

नोट–विकलांगता का तात्पर्य न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता से है जिसकी पुष्टि विकलांगता प्रमाण–पत्र (मेडिकल बोर्ड) के आधार पर की जायेगी।

4. **बिना किसी सीमा के चिकित्सकीय उपचार**–उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रदान किये जाने वाले चिकित्सा उपचार हेतु धनराशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, अर्थात उपचार पर होने वाले समस्त व्यय के भुगतान की सुविधा CGHS दरों पर प्रदान की जायेगी।

राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत उपचार हेतु (Treatment/Procedure/Surgery Package etc.) जहां CGHS दरें उपलब्ध नहीं है, की प्रतिपूर्ति AIIMS की दरों पर की जायेगी। जहां AIIMS की दरें भी उपलब्ध नहीं हैं, वहां चिकित्सा प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय की 100 प्रतिशत की दर के आधार पर किया जायेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति Rare of the Rarest Condition में ही होगी।

5. **प्रदेश में स्थित सूचीबद्ध राजकीय एवं निजी चिकित्सालय में सीधे उपचार**– उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों को प्रदेश मे स्थित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में उपचार (अस्पताल मे भर्ती होने पर) हेतु किसी राजकीय चिकित्सालय से संदर्भण (Referral) की आवश्यकता नहीं है।

6. 1) सभी कार्मिकों/पेंशनरों से समान CGHS दरों पर **सातवें वेतन आयोग के अनुसार** अंशदान लिया जायेगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

   a) वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 250/– प्रतिमाह।

   b) वेतन लेवल 6 राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 450/– प्रतिमाह।

   c) वेतन लेवल 7 से 11 तक राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 650/- प्रतिमाह।

   d) वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर राजकीय कार्मिकों/पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर रू0 1000/– प्रतिमाह।

   2) नई पेंशन स्कीम (NPS) से आच्छादित कार्मिक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड वार्षिक अंशदान (12 माह) दे कर प्राप्त कर सकते हैं अथवा 10 वर्ष के अंशदान के लगभग एकमुश्त अंशदान (120 माह) दिये जाने के पश्चात् आजीवन वैधता के साथ गोल्डन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

   3) पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित राजकीय पेंशनर्स द्वारा मासिक अंशदान कटौती/वार्षिक अंशदान कटौती अथवा 10 वर्ष की अंशदान राशि के बराबर एकमुश्त अंशदान के भुगतान से आजीवन वैधता के साथ गोल्डन कार्ड का लाभ प्राप्त करने के विकल्प का चयन किया जा सकता है।

   4) वार्षिक अंशदान वाले पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के द्वारा समय–समय पर दरों के पुनरीक्षित होने पर संशोधित दर से वार्षिक अंशदान दिया जायेगा परन्तु 10 वर्ष के एकमुश्त अंशदान दिये जाने के पश्चात् प्राप्त आजीवन कार्ड के सम्बन्ध में यह लागू नहीं होगा।

7. ऐसे राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर्स अथवा उनके पति/पत्नी जो कि अन्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं यथा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, ई0सी0एच0एस0 (भारतीय सैन्य सेवा हेतु) एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना इत्यादि से आच्छादित हैं, के द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (State Government Health Scheme-SGHS) में सम्मिलित होने अथवा न होने का विकल्प स्वप्रमाणित प्रपत्रों के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को दिया जायेगा, जिसकी सूचना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग,

जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को दी जाएगी।

8. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा अन्य विभिन्न विभाग (स्वायत्तशासी निकाय, निगमों/जल संस्थान/जल निगम/वन निगम) प्राधिकरणों, विश्वविद्यालयों तथा अनुदानित संस्थाओं) आदि विभागों, जहाँ SGHS योजना लागू नहीं है, के कर्मियों/पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को भी राजकीय सेवाओं के कर्मियों की भाँति व्यवहृत किया जायेगा।

9. पति–पत्नी दोनों के सेवारत होने की दशा में दोनों में से, जो उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होगा, उसके द्वारा ही अंशदान (Contribution) दिया जायेगा। यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय कार्मिक/पेंशनर हैं, तो दोनों के माता–पिता, जो उन पर आश्रित हैं, परिवार में सम्मिलित होंगे, बशर्ते कि उन दोनों के द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित अंशदान दिया जा रहा हो।

पत्नी के उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होने पर पत्नी के पास माता–पिता के रूप में पति के माता–पिता का चयन आश्रित में किए जाने का विकल्प होगा। पत्नी पर पति के माता–पिता के साथ स्वयं के माता–पिता आश्रित होने पर पत्नी द्वारा दोहरे अंशदान की कटौती के साथ समस्त आश्रितों हेतु योजना का लाभ लिया जा सकेगा। महिला पेंशनर (पति के देहान्त के उपरान्त) द्वारा अंशदान कटौती करवाते हुए पति के माता–पिता को आश्रित की श्रेणी में रखा जा सकेगा।

10. राजकीय सेवक के पति/पत्नी यथास्थिति में, सरकारी सेवा में न होने तथा उन पर आश्रित न होने की दशा में उनकी इच्छानुसार/विकल्पानुसार, उक्त राजकीय सेवक हेतु नियत अंशदान के समतुल्य अंशदान प्राप्त कर उन्हें भी योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प होगा।

11. राजकीय सेवक एवं पेंशनर्स के अंशदान के रूप में की गयी कटौती को सोसाइटी के बैंक खाते में स्थानांतरण किया जाना – राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्मिक/पेंशनर के जनवरी, 2021 के वेतन/पेंशन से (जो माह फरवरी, 2021 में देय है) से अंशदान की कटौती की जा रही है। विभागाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरान्त धनराशि "राज्य स्वास्थ्य अभिकरण" के खाते में e-transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी। कार्मिकों के देयकों का भुगतान आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा नियमित रूप से अंशदान की कटौती की धनराशि राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा।

12. राजकीय कार्मिकों/पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए आउट डोर पेशेन्ट (OPD) व्यवस्था –

OPD में उपचार कराये जाने पर सूचीबद्ध/गैरसूचीबद्ध OPD क्लीनिक/चिकित्सालयों में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की व्यवस्था केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) दरों के अनुसार निम्नवत् है :–

A. राज्य के शासकीय कार्मिक/पेंशनर सूचीबद्ध/गैरसूचीबद्ध अस्पतालों में OPD की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

B. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा कार्मिकों/पेंशनर्स को CGHS की दरों पर परामर्श शुल्क, Diagnostics/Radiology की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी द्वारा उक्त शुल्कों/चिकित्सा व्यय का वहन एवं औषधियों का क्रय तत्समय स्वयं किया जायेगा।

C. कार्मिक/पेंशनर्स गैर सूचीबद्ध OPD क्लीनिक/चिकित्सालयों में चिकित्सकों से कराये गये उपचार का चिकित्सा व्यय (परामर्श शुल्क, Diagnostics/Radiology एवं औषधियों का क्रय) का भुगतान स्वयं करेंगे।

D. कार्मिकों/पेंशनर्स द्वारा उपरोक्तानुसार कराये गये उपचार का अनिवार्यता प्रमाण–पत्र अस्पताल के उपचार करने वाले चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा तिथि एवं मोहर सहित अभिप्रमाणित किया जायेगा।

E. उपरोक्तानुसार शासकीय कार्मिक/पेंशनर्स उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा निर्धारित प्रपत्र/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र पर अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेंगे।

F. इनके द्वारा प्रस्तुत दावे अनिवार्यता प्रमाण–पत्र का परीक्षण CGHS दरों पर जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी/मुख्य चिकित्साधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी) से कराया जायेगा। जिसे कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो; के द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत, नियमानुसार स्वीकृत कर/करा कर आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से (IFMS Portal के माध्यम से ऑनलाईन) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

G. सम्बन्धित मूल प्रलेख आहरण–वितरण अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे।

H. राज्य गठन से पूर्व पेंशनर्स के आउट डोर पेशेन्ट/OPD बिलों का स्वीकृता अधिकारी सम्बन्धित कोषाधिकारी तथा उसके पश्चात सेवा निवृत्त/पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

I. <u>चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा स्वीकृत किये जाने से पूर्व निम्नलिखित चैक लिस्ट के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण होना अनिवार्य होगा</u> :–

i. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत किया जायेगा। अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में कार्मिकों/ पेंशनरों की कर्मचारी संख्या व दूरभाष संख्या अंकित की जायेगी।

ii. समस्त मूल बिल वाउचर की मूलप्रति संलग्न हो।

iii. समस्त बिल/वाउचर चिकित्सक द्वारा मोहर सहित सत्यापित हो।

iv. चिकित्सक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी द्वारा चिकित्सकीय उपचार एवं उसकी दरों का भली–भांति मूल्यांकन करते हुये सत्यापन किया जायेगा।

v. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (**प्रारूप परिशिष्ट–क के अनुसार**) प्रस्तुत करना होगा।

vi. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में रोगी का नाम, उपचार की अवधि तथा व्यय की गयी धनराशि अंकित हो तथा व्यय विवरण संलग्न होगा।

vii. अनिवार्यता प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उपचार अवधि के भीतर की ही तिथियों के बिल वाउचर्स का भुगतान किया जायेगा।

13. अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार (IPD)

a) अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरें मान्य होंगी।

b) उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स एवं उनके परिवार के सदस्यों/ आश्रितों को प्रदेश के सूचीबद्ध राजकीय चिकित्सालयों तथा प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण में सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय में भर्ती होने पर (In patient) कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

c) राज्य के कार्मिकों/पेंशनर को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड में सूचीबद्ध चिकित्सालयों में इलाज कराने की सुविधा असीमित धनराशि तक अनुमन्य होगी।

d) कार्मिकों/पेंशनर द्वारा गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों के आधार पर कार्मिक/पेंशनर्स को की जायेगी।

e) कार्मिक/पेंशनर्स गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये अन्तः रोगी चिकित्सा उपचार (IPD) उपचार चिकित्सा व्यय का भुगतान स्वयं करेंगे तथा उक्त व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा निर्धारित प्रपत्र/अनिवार्यता प्रमाण–पत्र पर अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, को प्रस्तुत करेंगे।

f) गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकों से कराये गये अनिवार्यता प्रमाण–पत्र का परीक्षण वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार कार्यालय अध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) दरों पर इस हेतु अधिकृत अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी) से कराया जायेगा।

परीक्षणोपरान्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन की सीमा के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को नियमानुसार स्वीकृत कर/करा कर आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से (IFMS Portal के माध्यम से ऑनलाईन) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

g) राज्य गठन से पूर्व पेंशनर्स के गैरसूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये उपचार सम्बन्धी IPD बिलों का स्वीकृता अधिकारी सम्बन्धित कोषाधिकारी तथा उसके पश्चात सेवा निवृत्त/पेंशनर्स की चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे की स्वीकृति सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा नियमानुसार प्रदान करते हुये अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

h) सम्बन्धित मूल प्रलेख आहरण–वितरण अधिकारी के कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे।

i) राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर तथा उनके परिवार के सदस्य को चिकित्सा सुविधा हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की अनुमन्यता के आधार पर शैय्या की अनुमन्यता होगी। जिसके अन्तर्गत बेड का वर्गीकरण सातवें वेतनमान में वर्णित लेवल के अनुसार 1 से 5 तक सामान्य बेड, लेवल 6 हेतु सेमी प्राइवेट बेड, लेवल 7 से 11 हेतु प्राइवेट बेड एवं लेवल 12 एवं उच्चतर हेतु डीलक्स बेड अनुमन्य कराई जाएगी। सी0जी0एच0 एस0 दरों के अन्तर्गत 04 बेड जिसमें सामान्य बेड हेतु रू0 1000/– प्रतिदिन, सेमी प्राइवेट बेड हेतु रू0 2000/– प्रतिदिन व प्राईवेट बैड हेतु रू0 3000/– प्रतिदिन और लेवल 12 व उच्चतर लेवल के लिए डीलक्स बेड हेतु रू0 4000/– की दर अनुमन्य होगी। सेमी प्राईवेट बेड, प्राईवेट बेड एवं डीलक्स बेड हेतु केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों पर चिकित्सालय को भुगतान अनुमन्य होगा।

j) एक निश्चित प्रतिशत के चिकित्सा दावों का ऑडिट भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. कार्मिकों / पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत दावों को कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को संदर्भित किए जाने का प्राधिकार वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–एक भाग–2, 1(ii) में प्रावधानित वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार होगा। राज्य के बाहर कराये गये उपचार की स्वीकृति भी उक्त वित्तीय प्रतिनिधायन से शासित होंगे।

ओ0पी0डी0 / आई0पी0डी0 में परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षरण तथा स्वीकृति के स्तर

क्र0 सं0	प्रतिपूर्ति दावे की अधिकतम धनराशि	स्वीकर्ता अधिकारी	प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी (ओ0पी0डी0 / आई0पी0डी0)
1.	रू0 1.5 लाख	कार्यालयाध्यक्ष	जिला / उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी / मुख्य चिकित्साधीक्षक / इस हेतु नामित अधिकारी (प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी)
2.	रू0 1.5 लाख से रू0 3.00 लाख तक	कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो।	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल एवं कुमाऊँ मण्डल
3.	रू0 3.00 लाख से रू0 5.00 लाख तक	विभागाध्यक्ष	महानिदेशक / निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4.	रू0 5.00 लाख से अधिक	प्रशासकीय विभाग	तदैव

नोट–राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अन्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों से चिकित्सा उपचार की दशा में सम्बन्धित चिकित्सालय के मुख्य चिकित्साधीक्षक / प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा।

अपरिहार्य परिस्थिति में आकस्मिकता के दृष्टिगत गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सकीय उपचार हेतु कार्मिक / पेंशनर के द्वारा दिये गये अग्रिम आहरण के प्रस्ताव (चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के 75 प्रतिशत तक) को वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार विभागाध्यक्ष / प्रशासकीय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा स्वीकृत कर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

15. ओ0पी0डी0 अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में कराये गये आई0पी0डी0 उपचार एवं चिकित्सकीय परामर्श के बीजकों की प्रतिपूर्ति हेतु दावा अनिवार्यता प्रमाण–पत्र समस्त अभिलेखों सहित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / प्रशासकीय विभाग / स्वीकृता अधिकारी को, जैसी भी स्थिति हो (वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के अनुसार) को उपचार समाप्ति के छः माह के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि से विलम्ब की दशा में प्रतिपूर्ति दावा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

16. प्रदेश के बाहर गैर सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा उपचार :–

a) प्रदेश के बाहर अस्पताल में भर्ती होने की दशा में उपचार के लिए राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर को उत्तराखण्ड में स्थित किसी राजकीय/सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय से सन्दर्भित (Referral) कराना होगा। आपात स्थिति में उपचार हेतु सन्दर्भित कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

b) कार्मिकों/पेंशनर द्वारा प्रदेश के बाहर गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की दशा में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) की दरों के आधार पर कार्मिक/पेंशनर्स को की जायेगी। इस हेतु अनिवार्यता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया ओ0पी0डी0 उपचार की स्थिति में प्रस्तर–12(E) के अनुसार तथा आई0पी0डी0 उपचार की स्थिति में प्रस्तर– 13(e) के अनुसार होगी।

c) प्रदेश के बाहर नई दिल्ली अथवा अन्य स्थानों पर कार्यरत राजकीय कार्मिक एवं पेंशनर व उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्य अस्पताल में भर्ती होने की दशा में रेफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

17. ओ0पी0डी0 और आई0पी0डी0 प्रावधानों में उक्त योजना के लाभार्थी सूचीबद्ध अस्पतालों में समस्त प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध होने की दशा में किसी एक विशिष्ट (Specific) चिकित्सा कराने हेतु ही पात्र न हो। सूचीबद्ध Multi-Speciality Hospital में लाभार्थी अपनी स्वेच्छानुसार यथास्थिति किसी भी प्रकार की चिकित्सा प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र होंगे अर्थात् कोई भी सूचीबद्ध अस्पताल विशिष्ट उपचार मात्र हेतु ही अधिकृत न हो।

18. उक्त योजना हेतु CGHS Provisions को In-toto (Overall) ही योजना की सीमान्तर्गत अंगीकृत (Adopt) किया जाता है।

19. उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार हेतु राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ओ0पी0डी0 चिकित्सा में सुविधा प्रदान करने हेतु डॉयग्नोस्टिक सेन्टर एवं औषधालय भी पंजीकृत किए जायेंगे, जिससे निःशुल्क जांच एवं दवाईयों की सुविधा राजकीय अधिकारी/कर्मचारी (कार्यरत एवं सेवानिवृत्त) एवं उनके परिवार को प्रदान की जा सके।

20. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी अपना अंशदान ड्राफ्ट के माध्यम से सीधे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Health Authority, Uttarakhand) को कार्मिक के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित/उपलब्ध कराया जायेगा।

21. कार्यरत राजकीय कार्मिकों/पेंशनर के गोल्डन कार्ड बनवाने की प्रकिया :–

a) कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने कार्यालय के स्टॉफ के सहयोग से तैयार करायेंगें।

b) पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्यों के गोल्डन कार्ड सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी अपने कार्यालय के स्टाफ के सहयोग से तैयार करायेंगें।

c) पेंशनर एवं उनके परिवार के सदस्य इसके अतिरिक्त अपने मूल विभाग के आहरण वितरण अधिकारी कार्यालय से अथवा किसी भी आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

d) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं पेंशनर (उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर) किसी भी जन सेवा केन्द्र (Common Service Centre-CSC) से अथवा सूचीबद्ध चिकित्सालय से भी गोल्डन कार्ड बनवा सकते हैं।

e) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) इस हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टॉफ को उनके नाम से अधिकृत करेगा।

f) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्य कोषाधिकारी एवं उनके स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करेगा।

22. उक्त योजना को राजकीय कार्मिकों/पेंशनर के अलावा स्वायत्तशासी निकाय, निगमों, प्राधिकरणों, विश्वविद्यालय तथा अनुदानित संस्थाओं के कार्मिकों, जिन्हें राज्य सरकार अनुदान (Grants in Aid) उपलब्ध कराती है, पर भी निम्न प्रतिबन्धों के साथ लागू किया जा सकता है :—

a) उक्त संस्थायें अपने गवर्निंग बॉडी, बोर्ड आदि से प्रस्ताव पास कराने के उपरान्त योजना (Scheme) को अंगीकृत कर सकेंगे।

b) उक्त योजना सम्बन्धित संस्थाओं/निकाय/निगम के सभी कार्मिको हेतु अनिवार्य होगी।

c) उक्त संस्थायें कार्मिकों/पेंशनर के वेतन/पेंशन से मासिक कटौती कर धनराशि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को ऑनलाईन उपलब्ध करायेंगे।

23. उक्त योजना के मौलिक स्वरूप को यथावत रखा जायेगा, परन्तु यदि योजना के कियान्वयन में कोई कठिनाई होती है, तो इस हेतु परिवर्तन–परिवर्धन के लिये मा0 मुख्यमन्त्री जी अधिकृत होंगे।

24. राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के संचालन पर होने वाले प्रशासनिक व्यय हेतु कार्मिक/पेंशनर से प्राप्त होने वाले अंशदान से प्रति कार्मिक/पेंशनर प्रतिमाह रू0 5/– व्यय कर सकेगा।

25. उपरोक्तानुसार सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु निर्धारित व्यवस्था के क्रम में पूर्ववर्ती शासनादेश संख्या–679/चि0–3–2006– 437/2002, दिनांक 04.09.2006 में उनके चिकित्सकीय उपचार की प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधानित व्यवस्था समाप्त समझी जायेगी।

दिनांक 31.12.2020 तक प्रस्तुत होने वाले समस्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान प्रशासकीय विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 04.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा बजटीय प्रावधान के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

26. यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–210/(M)/XXVII(3)/2020, दिनांक 23 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या- 1256 (1)/XXVVIII(3)21-04/2008. T.C., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव-सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन।
14. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सी0 रवि शंकर)
अपर सचिव

गोल्डन कार्ड योजना के अन्तर्गत समस्त राजकीय कार्मिकों/पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार के लिए अनिवार्यता प्रमाण–पत्र

वाह्य/अन्तः रोगी के रूप में उपचार हेतु

मैं डा0 ..... प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी ..... पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता ....कर्मचारी/पेंशनर पंजीकृत संख्या ..... विभाग ..... जो ..... रोग से पीड़ित है/थ. का उपचार दिनांक ..... से ..... तक वाह्य/अन्तः रोगी के रूप में ..... चिकित्सालय से मेरे द्वारा किया गया है/था।

2. मेरे द्वारा विहित औषधि व परीक्षण जो संलग्न वाउचर के अनुसार हैं, रोगी की स्थिति में सुधार/निवारण के लिए आवश्यक थी। इसमें ऐसी औषधि सम्मिलित नही हैं, जिसके लिए समान थेरोप्यूटिक एफेक्ट वाला सस्था पदार्थ उपलब्ध है और न ही वह विनिर्मित सामग्री सम्मिलित हैं, जो प्राथमिक रूप से खाद्य पदार्थ टायलेटरीज व डिसाइन्फेक्टेन्ट है।

3. उपचार पर व्यय का विवरण :

(क) परामर्श शुल्क	रू0.....
(ख) औषधि पर व्यय	रू0.....
(ग) पैथोलॉजिकल परीक्षण पर व्यय	रू0.....
(घ) रेडियोलॉजीकल परीक्षण पर व्यय	रू0.....
(ड.) विशेष परीक्षण पर व्यय	रू0.....
(च) शल्य किया पर व्यय	रू0.....
(छ) अन्य व्यय (विवरण सहित)	रू0.....
योग	रू0.....

4. रोगी को चिकित्सा में भर्ती कर उपचार किए जाने की आवश्यकता थी/नहीं थी।
संलग्नक :– मेरे द्वारा उपरोक्त सत्यापित/अभिप्रमाणित बिल/वाउचर संख्या.....

सम्बन्धित चिकित्सालय में चिकित्सक द्वारा किए गये उपचार के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र

1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... .....जो..... रोग से पीड़ित है था/थी एवं उसका चिकित्सा उपचार मेरे द्वारा किया गया/जा रहा है।

2) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....का चिकित्सा उपचार वर्तमान में नवीनतम प्रचलित पद्धति के निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया गया है।

3) चिकित्सालय द्वारा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत रीo जीo एवo एसo की दरों के अनुसार रोगी द्वारा कराये गये उपचार की धनराशि प्राप्त कर ली गयी है, जिसकी प्रतिपूर्ति रोगी को की जा सकती है।

4) चिकित्सालय में श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उपलब्ध करायी गयी चिकित्सा सुविधा आवश्यक एवं उपचार हेतु न्यूनतम है/थी।

प्रतिहस्ताक्षर

हस्ताक्षर (दिनांक सहित)

प्राधिकृत चिकित्सक
(सम्बन्धित चिकित्सक एवं चिकित्सा केन्द्र का प्रमुख)

चिकित्सक
(नाम योग्यता मोहर सहित)

सूचीबद्ध चिकित्सालयों से ओ0पी0डी0 उपचार हेतु :-

1) सूचीबद्ध चिकित्सालयों मे ओ0पी0डी0 उपचार की दशा मे अनिवार्यता प्रमाण पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित एवं चिकित्सालय के मुख्य/प्रभारी चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

2) गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों मे ओ0पी0डी0 उपचार की दशा मे अनिवार्यता प्रमाण पत्र परामर्शी चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित तथा जिला/उप-जिला चिकित्सालय के प्रमुख (मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्साधीक्षक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

आकस्मिकता की स्थिति में गैर सूचीबद्ध चिकित्सालयों में अन्तः रोगी उपचार (I.P.D.) की दशा में प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी, महानिदेशक, चिकित्सा-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र :

मैं प्रमाणित करता हूं कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... का ..... चिकित्सालय मे उपचार किया गया। उपचारकर्ता को दी गयी चिकित्सा सुविधा आवश्यक एवं उपचार हेतु न्यूनतम थी। उपचारकर्ता को चिकित्सा प्रतिपूर्ति योग्य निर्धारित धनराशि सी0जी0एच0एस0 की दरों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षर कर्ता अधिकारी।